[निजी प्रसार के लिए]

अंक २३ नई दिल्ली, जनवरी २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'हम अपने सर्वश्रेष्ठ कानून 'संविधान' से समझौता नहीं करते'

श्री बलतेज सिंह ढ़िल्लन

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आर.सी.एम.पी.), कनाडा में सर्जेंट का पद संभाल रहे भारतीय मूल के सिख अफ़सर श्री बलतेज सिंह ढिल्लन से उनके व्यवासायिक सफ़र और कनाडा में पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर ज़ीनत मलिक द्वारा साक्षात्कार। श्री ढ़िल्लन ने कनाडा पुलिस में अपनी धार्मिक चिन्ह 'पगड़ी' को वर्दी के साथ पहने रखने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई जीता है और आज वे आर.सी.एम.पी. के एक बेहद कुशल जांच अधिकारी हैं।
लोक पुलिस के माध्यम से हम आपको अगले कुछ अंकों में पुलिसिंग संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर कनाडा के कानून और इसके पुलिसकर्मियों द्वारा इसके कार्यान्वयन के तरीकों पर श्री ढ़िल्लन के विचार प्रस्तुत करेंगे। इस श्रृंखला में यह आरंभिक साक्षात्कार है।

सर, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आर.सी.एम.पी.) में सार्जेंट बनने के अपने सफ़र के बारे में संक्षेप में बतलाएं।

मैं आर.सी.एम.पी. की सेवा में २१ वर्षों से हूँ, इसमें मेरा सफर इस प्रकार रहा है :

साधारण ड्यूटी – मैंने कांस्टेबल के पद पर आर.सी.एम.पी. को ज्वायन किया। मेरी पहली नियुक्ति क्वायस्नेल शहर में थी। यहां मैंने अपनी साधारण ड्यूटी के दौरान शहर के नागरिकों को अग्नी सेवा प्रदान की जिसमें डकैतियों, ताला तोड़ कर घर में घुसना, गाड़ियों की दुर्घटना, निचले स्तर पर ड्रग रखने, मारपीट, चोरी और अपराधिक संहिता तथा प्रांतीय कानूनों के अंतर्गत दूसरे अपराधों की जांच करना शामिल था।

सामुदायिक पुलिसिंग अफ़सर–इस ड्यूटी में अपराध रोकने के लिए ब्लॉक वॉच और क्राईम स्टापर की शुरुआत करना शामिल था। वहां मैं, जनता और पुलिस के बीच लायज़न अफ़सर था। इसके अलावा मैं स्कूल में लायज़न प्रोग्राम और आर.सी.एम.पी. के ऑकज़िलियरी प्रोग्राम का प्रबंधन भी करता था।

इसके बाद १९९५ में मुझे एयर इंडिया टास्क फोर्स में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां इसकी जांच में कई सुराग दिए और फिर कारपोरल के पद पर प्रोमोट कर दिया गया। इसी दौरान मुझे २००२ में फौरेंसिक टीम का सदस्य भी बनाया गया। इसके अलावा मैं बहुचर्चित पिकटन केस में भी जांच का काम दिया गया जिस पर ५० महिलाओं के कत्ल का आरोप था और बाद में ६ हत्याओं के लिए दोषी पाया गया और उम्र कैद की सज़ा दी गई।

२००३ में मुझे सार्जेंट के पद पर प्रोमोट कर दिया गया। इसके साथ ही मैंने ६ महीने का एक पॉलीग्राफ़र प्रशिक्षण भी लिया जिसके बाद मैं कनाडा में पॉलीग्राफी टेस्ट करने में सक्षम हो गया। यहां पॉलिग्राफी टेस्ट तभी किया जा सकता है जब अपनी मर्ज़ी से कराया जाए।

२००६ में मुझे आपराधिक इंटेलिजेंस सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया जहां मुझे प्रांतीय इंटेलिजेंस सेंटर कायम करने को कहा गया। इसके बाद मुझे स्टाफ रैंक सार्जेंट के पद पर प्रोमोट कर दिया गया और वर्तमान में मैं ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांतीय इंटेलिजेंस सेंटर का प्रमुख नॉन कमिश्ण्ड अफसर हूं।

आप १९६० में आर.सी.एम.पी. के पहले पगड़ीधारी पुलिसकर्मी बने जिसके लिए आपको एक बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा था। आप इसके पहले और बाद अपने सहकर्मियों के बर्ताव में कोई बदलाव महसूस किया ?

जब मैंने शुरू में आर.सी.एम.पी. में आवेदन दिया तब कनाडा में काफी प्रतिरोध हुआ कि एक धार्मिक चिन्ह को कनाडा के यूनिफार्म के साथ कैसे स्वीकारा जाए। यह प्रतिरोध आम जनता और आर.सी.एम.पी. के सदस्य दोनों की ओर से था। यह प्रतिरोध अधिकतर इस भावना के कारण था कि आर.सी.एम.पी. राष्ट्रीय पुलिस बल है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की पहचान है। मुझे पगड़ी के साथ सम्मिलित किए जाने को कुछ लोगों ने कनाडा के लोगों का अपमान भी माना।

इस समय यह प्रतिरोध इसलिए उभरा क्योंकि वहां के लोगों में सिख बंधुओं द्वारा दुनिया भर की सेना और अर्धसैनिक बलों में उनके योगदानों से अनभिज्ञता थी। मैंने इसे उन लोगों में जानकारी फैलाने का अवसर समझा और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि केवल कुछ लोगों को छोड़कर सभी ने इसे स्वीकार लिया है।

यह सच है कि शुरुआत में मुझे कुछ सहकर्मियों के साथ परेशानी हुई थी जो आर.सी.एम.पी. के यूनिफार्म के साथ इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन, जब मैंने यह बात उठाई तब इसे निचले स्तर पर बहुत सहजता से सुलझाया गया और मुझे दोबार कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई। मैं इतने सालों में यह कह सकता हूं कि मेरे सहकर्मियों ने मुझे मेरे काम के कारण समझा है न कि मैं अपने सर पर क्या पहनता हूं इस कारण।

चुँकि आपने हाल में भारत का दौरा किया था और सी.एच.आर.आई. में अपनी मीटींग के दौरान आपने एक जगह भारत में सिविल पुलिस में कुछ आवश्यक संसाधनों की कमी के बारे में कहा था। आपके अनुसार भारतीय सिविल पुलिस के पास किन आवश्यक संसाधनों की कमी नज़र आती है ?

मेरा अवलोकन पुलिसिंग से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर था। कनाडा में हमने कई व्यवस्थाओं का फ़ायदा लिया ताकि नागरिकों की समय और निपुणता से सेवा करने की हमारी कोशिश में सहजता आ सके। जैसे कि पुलिस की गाड़ी में कंप्यूटर की स्थापना जिससे हमें जगह, घटना और विषय के बारे में जानकारी मिलती रहती है। थानों में रिकॉर्डिंग के उपकरण उपलब्ध होने से गवाहों और संदिग्धों के बयान ठीक ढंग से रिकॉर्ड हो सकता है।

यह भारत की पुलिसिंग में पहले से ही उपयोग किया जा रहा हो, हो सकता है मैंने उसे नहीं देखा हो यह भी सम्भव है कि वही मकसद बिना इन उपकरणों की मदद लिये प्राप्त किया जा रहा हो।

कनाडा में थाना स्तर के पुलिसकर्मियों को किस प्रकार की 'सामाजिक सुरक्षा' प्राप्त है ? क्या उन्हें कार्य अवधि से संबंधित किसी विशिष्ट प्रकार का अनुलाभ मिलता है ?

कनाडा में आप कहीं भी काम करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहां कर्मचारियों के वेतन, ओवरटाईम, भत्ते, मेडिकल और पेंशन संबंधी मामले एक कठोर लेबर कानून के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर हर कर्मचारी सप्ताह में केवल ४० घंटे काम कर सकता है और उससे अधिक किया गया काम ओवरटाईम

.....शेष पृष्ठ २ पर

बूझो और जीतो-१

प्रिय पाठकों,

नव वर्ष २०१२ के आगमन पर आपको ***लोक पुलिस*** की ओर से ढेरों शुभ कामनाएं!

आप लोगों के सहयोग और समर्थन से ***लोक पुलिस*** पत्रिका जनवरी २०१२ में पूरे दो साल की हो चुकी है। इसके साथ ही इस अंक से हम आपके लिए एक रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कर रहे हैं। हर महीने केवल ५ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपके काम से संबंधित होंगे और आपको इनके जवाब पोस्टकार्ड द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजने होंगे। पहले ५ सही पत्रों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा प्रकाशन से दो महीने के भीतर भेजा जाएगा और विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाएँगे। आशा है आपको यह शुरुआत पसंद आएगी।

आपके सवाल निम्नलिखित हैं:

१. शिकायतकर्ता को थाने में शिकायत की कॉपी लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं?

२. आरोपी को थाने से शिकायत की कॉपी प्राप्त करने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं ?

३. पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तारी कर सकती है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ..... के अंतर्गत।

४. महिलाओं को किसी केस में पूछताछ के लिए थाने में किस समय बुलाया जा सकता है ?

५. क्या पुलिस आरोपी को ज़मानत दे सकती है ? यदि 'हां' तो किस प्रावधान के अंतर्गत ?

हमें लिखें–

जीनत मलिक
प्रधान संपादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-१७७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई–मेल: info@humanrightsinitiative.org
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

अपराध स्थल की जांच और फोटोग्राफी का महत्व

अपराध स्थल पर सबसे ऊंचे स्तर के सबूत पाए जाते हैं। इसलिए, जांच अधिकारी का पहला काम है अपराध की जगह को सभी लोगों से मोरचाबन्दी करके और घेरा लगाकर सुरक्षित करना। अपराध स्थल को सुरक्षित और संभालकर रखने के महत्त्व पर अनावश्यक बल नहीं दिया जा सकता।

एक कामयाब जांच आम तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध स्थल पर उपलब्ध कितने सबूतों, सुरागों और नमूनों को सुरक्षित, संरक्षित, किया जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और मूल्य निरूपण किया गया है। सभी भौतिक सबूतों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उन्हें इसके आरंभिक स्थान से उचित रिकॉर्डिंग के बग़ैर नहीं हटाया जाना चाहिए। सबूतों की अहमियत रखने वाले सभी वस्तुओं को साथ–साथ संभालकर रखने का काम होना चाहिए। यह इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे सबूत होते हैं जो सड़ गल सकते हैं।

अपराध स्थल की वर्तमान स्थिति के रिकॉर्ड से चल रहे जांच में और अदालत में इस स्थिति के प्रस्तुतिकरण में भी मदद मिलती है। यह रिकॉर्ड अदालत में सबूत की अहमियत रखने वाली चीज़ों, गवाहों और उनके आपसी संबंध पर अपराध स्थल का दृष्टि संबन्धित (visual) प्रतिनिधित्व करते हैं। अपराध स्थल की रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी, मैप स्केच और निरीक्षण टिप्पणी से की जाती है। समय–समय पर विडियोग्राफी का तरीका भी अपनाया जा सकता है।

फोटोग्राफी

आपराधिक मामलों में फ़ोटोग्राफी की और उसके उपयोग की मान्यता सारी दुनिया में है और यह अपेक्षाकृत लाभदायक है। यह मिट जाने वाले सबूतों को संभालता है और अपराध स्थल का स्थायी रिकॉर्ड है और अपराधदृश्य को दोबारा बनाने के लिए उन तरीकों का विवरण होता है जिससे अपराध किया गया है। हत्या या किसी व्यक्ति के विरूद्ध दूसरे संगीन अपराधों में फोटोग्राफी द्वारा उस दृश्य का प्रतिनिधित्व न केवल जांच के लिए बल्कि अदालत के लिए भी सबूतों को समझने और उसके महत्त्व और विश्वसनीयता के मुल्यांकन में असंख्य मददगार होता है अगर उस दश्श्य को ज्यों का त्यों उसी अवस्था में संभालकर रखा जाए जैसा कि अपराध के समय था।

अपराध के महत्त्वपूर्ण दृश्यों की फोटो खींची जानी चाहिए। कई बार जांच समाप्त होने के पहले जांच अधिकारी बदल जाते हैं ऐसे में अपराध स्थल की फोटो नए जांच अधिकारी को अपराध स्थल की एक दम सही खाका खींचने में मदद करेगी। फोटोग्राफी के सबूत अदालत में तथ्यों को पेश करने या व्याख्या करने के लिए मान्य हैं। अदालतें, जांच अधिकारियों की रिपोर्ट को अधिक सराहती हैं यदि सबूतों के साथ फोटो भी संलग्न हों।

सभी पुलिस नियमावलियों में अपराध दृश्य की फोटोग्राफी की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। इस काम के लिए पुलिस द्वारा व्यावासायिक फोटोग्राफर को बुलाया जाता है जिन्हें इस काम का अनुभव हो। इससे पहले उस जगह का अच्छी तरह निरीक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक दृश्य को सोच समझकर लेना चाहिए। एक ही दृश्य को कई कोने से लेना चाहिए ताकि पूरे दृश्य का जीवंत अन्दाज़ा हो सके। फिल्म निकालने के बाद उस पर ठीक तरीके से लेबल लगाना चाहिए जिसपर स्थान, घटना, थाना, तारीख़ और केस नं का वर्णन किया जाए। दूसरी ओर पुलिस को चाहिए कि वह फोटोग्राफर की पूरी जानकारी–उसका नाम, पता, तारीख और समय जब प्रत्येक फोटो ली गई है को भी संभाल कर रखें। उन्हें फोटोग्राफर से नेगेटिव लेना भी याद रखना चाहिए।

अपराध स्थल को संभालकर रखने और रिकॉर्डिंग के लिए सभी पुलिस नियमावलियों और कानूनों में भी साफ़ दिशा–निर्देश दिए गए हैं। फिर भी, समस्या यह है कि इन दिशानिर्देशों का पालन ही नहीं किया जाता है उन्हें केवल पुलिस के लॉकरों में संभालकर रखा गया है। ये नियमावली उस भाषा में भी उपलब्ध नहीं है जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी आसानी से समझ सकें। अग्रणी जांच अधिकारियों को फौरेंसिक साईंस न तो पढ़ाई जाती है, न उनके लिए उपलब्ध होती है। जांच अधिकारियों के पास फौरेंसिक साईंस में हो रही नई उपलब्धियों की जानकारी नहीं होती। इसके विपरीत आज कानून व्यवस्था लागू रखने वाली एजेंसी और जांच एजेंसी के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है। दोनों ही काम एक ही एजेंसी के द्वारा किये जाते हैं। जांच अधिकारी, अधिकतर सब–इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होते हैं जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा के बाद की जाती है। इस चयन प्रक्रिया में शारीरिक योग्यता जांच, लिखित परीक्षा, मानसिक क्षमता जांच तथा साक्षात्कार शामिल होता है। पुलिसकर्मियों को प्रोबेशन और प्रशिक्षण भर्त्ती के बाद दी जाती है। लेकिन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है। इस प्रशिक्षण में निश्चित तौर पर व्यवासायिक जांच की ट्रेनिंग नहीं दी जाती और इसी कारण अपराध स्थल को ठीक ढ़ंग से ढ़का नहीं जाता है इसे अपराध के शिकार व्यक्ति के रिश्तेदारों, दोस्तों, मीडिया और कभी–कभी आम जनता के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। अपराध स्थल पर पहुंचने में भी बहुत देर होती है और तब तक यह प्राकृतिक और मानवकृत प्रभावों के लिए खुला होता है। परिणामस्वरूप, अपराध स्थल को संभालकर और सुरक्षित रखने की अहमियत को नज़रअन्दाज़ कर दिया जाता है जिससे की अहम सबूत नष्ट हो जाते हैं। नज़रअन्दाज़ कर दिया जाता है जिससे की अहम सबूत नष्ट हो जाते हैं।

अपराध स्थल की फोटोग्राफी से संबंधित इतने विस्तृत दिशा–निर्देश के बावजूद आम तौर पर प्रचलन बिल्कुल अलग है। छोटे शहरों और गांवों में अपराध स्थल की फोटोग्राफी के लिए अनुभवी फोटोग्राफर की बात कहीं नहीं सुनी जाती है आम तौर पर जिन लोगों को ऐसी फोटोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, उन्हें पासपोर्ट साईज़ या शादी–समारोह आदि के फोटो खींचने का अनुभव होता है। इस प्रकार लिए गए फोटो से अदालत में स्वीकार्य नहीं होते, इन पर लाश का नाम, समय, तारीख, घटना की व्याख्या, थाने का नाम, आदि नहीं लिखे होते हैं। यह देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में कितना समय लगता है अपराध होने के कई साल बाद गवाहों को बुलाया जाता है। जब तक उस फोटोग्राफर को अदालत में बुलाया जाता है तब तक उसे घटना के बारे में कुछ याद नहीं रहता है और क्योंकि तस्वीरों पर भी कोई जानकारी नहीं होती इसलिए उससे भी घटना को याद करने में कोई मदद नहीं मिल पाती है। ऐसे फोटोग्राफरों को पुलिस पैसे भी नहीं देती है जिससे अदालत में रसीद नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। कई बार पुलिस नगेटिव भी नहीं लेती जबकि अदालत में नगेटिव भी प्रस्तुत करना होता है।

दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है इसलिए फोटोग्राफ़ का कोई अर्थ नहीं होता है जबकि अगर इन्हें दिशा–निर्देशों के अनुसार संभाला जाए तो यह किसी सबूत और गवाह को बेहद साफ़ कर सकते हैं और यह अपने आप में ही एक अहम सबूत हो सकते हैं।

– नवाज़ कोतवाल

(शेष अगले अंक में.....)

.....शेष पृष्ठ १ का

माना जाता है। ऐसे हर अतिरिक्त घण्टे के लिए उसे साधारण घंटे से १.५ या २ गुना अधिक वेतन दिया जाता है। साथ ही, एक कर्मचारी को यह अधिकार है कि वह अपने शिफ़्ट का समय पहले से जान सके। कोई भी मालिक बिना नोटिस के किसी कर्मचारी की शिफ़्ट का समय और अवधि नहीं बदल सकता है।

यह तो कुछ उदाहरण हैं और अधिक जानकारी आर.सी.एम.पी. की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

कनाडा पुलिस, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल में से एक है। किन विशिष्टताओं के कारण यह दुनिया की दूसरे पुलिस बल से बेहतर है ?

मेरे विचार में एक अच्छे पुलिस बल की विशेषताएं इसके मिशन और मान्यताओं में निहित होती है। आर.सी.एम.पी. में सेवा करके मैं गौरान्वित महसूस करता हूँ क्योंकि हमारे दिशा सूचक सिद्धांत हैं–ईमानदारी, अखण्डता, व्यवासायिकता, सहानुभूति और जिनकी सेवा करनी है उनके प्रति और अपने सहकर्मियों के प्रति भी आदर भाव रखना।

इसके अलावा, हम अपने व्यवासायिक और निजी जीवन में एक दूसरे से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। हमारी सारी कोशिश अपराध रोकने, इसकी जांच करने और कानून लागू करने के लिए होती है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए हम कभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ कानून–'कनाडा के संविधान' के अंतर्गत नागरिकों को दिए गए अधिकारों और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करते।

मेरे २१ साल की सेवा में मैंने हर सभ्यता से आने वाले लोगों के साथ काम किया है और मैं कह सकता हूँ कि उन सब के अंदर समेकता का मज़बूत उहसास है और वे अपने काम को पूरा करने में वह सब कुछ करने को हर समय तैयार रहते हैं जिसकी आवश्यकता अपने लोगों की सेवा करने में होती है चाहे फिर वह उनका सबसे बड़ा त्याग अर्थात् अपनी जान देकर भी करनी पड़े।

आर.सी.एम.पी. में भी दुनिया के दूसरे संगठनों की तरह कई चुनौतियों सामने आती हैं और इसके कई ऐसे अफ़सर भी रहे हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं। अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो दूसरे अफ़सर आगे आकर सबूत और बयान देते हैं ताकि हम अपने संगठन से उसे निकाल कर अपने समुदाय के लोगों का विश्वास फिर से बहाल कर सकें।

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अगले कुछ अंकों में पुलिसिंग से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न रिपोर्टों के कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे।
वर्तमान अंक में "ट्रांसफ़र" पर विभिन्न रिपोर्टों के अंतर्गत सिफारिशों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की दूसरी रिपोर्ट (१९७९)

राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन सरकार द्वारा १९७६-१९८१ के अंतराल में किया गया था। इस आयोग ने पुलिस सुधार संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मुद्दों पर ८ रिपोर्ट जारी किय जिसमें कई सिफारिशें की गईं। इसकी दूसरी रिपोर्ट में ट्रांसफ़र पर आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की है :

- पुलिस अफसरों को प्रभावपूर्ण तरीकों से मनमाने और गलत ट्रांसफ़र/निलंबन आदेश से सुरक्षित रखना चाहिए। इन्हें सुरक्षित करने का एक तरीका यह है कि पुलिस अधिनियम में ही ऐसे प्रावधान को सम्मिलित करना चाहिए जिसमें ट्रांसफ़र/निलंबन आदेश जारी करने के लिए उचित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण हो। यह वैधानिक प्रावधान इस अधिनियम में उल्लेखित किसी और अधिकारी द्वारा ट्रांसफ़र/निलंबन आदेश को अमान्य कर देगा।
- इस ओर दूसरा कदम यह हो सकता है कि नियम के तौर पर ऐसे प्रत्येक आदेश के साथ एक संक्षिप्त पैराग्राफ में इस आदेश का कारण भी लिखना होगा।
- इसके बाद ऐसे किसी भी ट्रांसफ़र/निलंबन आदेश के साथ अगर कारण न लिखा गया हो तो यह आदेश मान्य नहीं होगा। इस प्रबंधन से यह फायदा होगा कि ऐसा आदेश पाने वाले के पास अगर वह मनमाना और गलत लगे तो वह उस आधार पर अधिकृत उपलब्ध फ़ोरम के सामने अपनी बात रख सकता है।

पदमनाभईया कमिटी (२०००)

केन्द्र सरकार ने २००० में पुलिस सुधार के विभिन्न पहलुओं पर राय देने केलिए और पुलिसिंग की चुनौतियों को आंकने के लिए इस कमीटी का गठन किया। इसके अंतर्गत भी ट्रांसफ़र पर निम्नलिखित राय दी गई :

- पुलिस के काम में अवैधानिक राजनैतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कार्यकाल संबंधी नीति बनाई जानी चाहिए।
- सभी पुलिसकर्मियों का कार्यकाल कम से कम दो साल का होना चाहिए।
- ट्रांसफ़र और नियुक्ति से संबंधित अधिक्षक और उससे ऊपरी स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व की सुनवाई करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सम्मिलित होंगे:–
  - ❑ प्रमुख सचिव – अध्यक्ष
  - ❑ गृह सचिव, तथा
  - ❑ पुलिस महानिदेशक।

पुलिस अधिनियम ड्राफ्टिंग कमिटी या सोली सोराबजी कमिटी (२००५-२००६)

इस कमिटी का गठन एक नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री सोली सोराबजी ने किया। इस कमिटी में श्रीमती माया दारूवाला, डायरेक्टर, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनीशिएटिव या (सी.एच.आर.आई.) भी एक सदस्य थीं। इस कमिटी ने एक मॉडल पुलिस अधिनियम बनाकर अक्टूबर २००६ में यूनियन गवर्नमेंट को दे दिया।

इसके अंतर्गत ट्रांसफ़र संबंधित निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए हैं :–

- ट्रांसफ़र करने की शक्ति विभिन्न अधिकारियों को उनके पद और स्तर के अनुसार दी जाती है। कानून में उल्लेखित अधिकारियों के अलावा किसी और अधिकारी द्वारा ट्रांसफ़र की मनाही है।
- पुलिस स्थापना बोर्ड की सलाह पर पुलिस महानिदेशक, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की रेंज के संबंध में प्रारंभिक ट्रांसफ़र पर निर्णय लेंगे और फिर एक रेंज से दूसरे रेंज में ट्रांसफ़र पर भी निर्णय लेंगे।
- रेंज डी.आई.जी., जिले में एक रेंज के अंतर्गत इंस्पेक्टर और उससे जूनियर अधिकारियों के तबादले के लिए उस रेंज के सभी एस.पी. की सदस्यता वाली कमीटी की सिफारिशों के अनुसार निर्णय लेंगे।
- एक ज़िले में इंस्पेक्टर और इससे जूनियर अधिकारियों के तबादले का निर्णय ज़िले के एस.पी., उस ज़िले के सभी अतिरिक्त और सहायक एस.पी. की सदस्यता वाली कमिटी की सिफ़ारिशों के अनुसार लेंगे। के अनुसार निर्णय लेंगे।
- एक ज़िले में इंस्पेक्टर और इससे जूनियर अधिकारियों के तबादले का निर्णय ज़िले के एस.पी., उस ज़िले के सभी अतिरिक्त और सहायक एस.पी. की सदस्यता वाली कमिटी की सिफ़ारिशों के अनुसार लेंगे।

प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (२००६-२००७)

१९९६ में दो भूतपूर्व डी.जी.पी ने उच्चतम न्यायलय में पुलिस सुधार के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देने के लिए एक जनहित याचिका दायर की। इसके बाद अदालत ने ७ दिशा–निर्देश सभी राज्यों को अपने स्तर पर लागू करने को कहा। इसके अंतर्गत एक मुद्दा ट्रांसफ़र से संबंधित भी था। जिसपर निम्नलिखित निर्देश दिया गया :

- जो पुलिसकर्मी परिचालन के दायित्वों (operational duty) पर हों उनका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होगा। जिनमें ये अधिकारी शामिल हैं:
  - ❑ किसी ज़ोन का इंचार्ज आई.जी.
  - ❑ किसी ज़ोन का इंचार्ज डी.आई.जी.
  - ❑ किसी ज़िले का इंचार्ज एस.पी.
  - ❑ किसी थाने का इंचार्ज एस.एच.ओ.
- इन अधिकारियों को कार्यकाल पूरा होने के पहले हटाया जा सकता है। अगर :
  - ❑ उनके विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही की शुरुआत की गई हो।
  - ❑ उन्हें किसी आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया हो।
  - ❑ वे अयोग्य हो गए हों और अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकते हों।

उपरोक्त विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर आपने देखा कि किस प्रकार ट्रांसफ़र के मुद्दे पर अलग अलग समितियों ने आवश्यक सिफारिशें की हैं। अब आपके राज्य में इन्हें कितना लागू किया गया है यह आप स्वंय माप सकते हैं। आप राज्य की स्थिति से हमें और दूसरे पाठकों को ***लोक पुलिस*** के माध्यम से अवश्य अवगत करायें। आप यह जानकारी गुमनाम रूप से भी हमें भेज सकते हैं।

– ज़ीनत मलिक

आपके विचार

नमस्कार जी,

राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से ***लोक पुलिस*** के एक और उत्कृष्ट अंक (दिसंबर २०११) निकालने के लिए बधाई!

हम आशा करते हैं कि आप इस पत्रिका के उच्च स्तर को बनाये रखेंगे। यह पत्रिका बेहद जाकनारी प्रदान करने वाली है और न केवल पुलिसकर्मियों के लिए लाभप्रद है बल्कि आमतौर पर समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी है।

दीपक भार्गव
अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक
उप प्रधानाचार्य एंव सहायक निदेशक, प्रशासन
राजस्थान पुलिस अकादमी,
राजस्थान

महोदया,

हमारे थाने में ***लोक पुलिस*** पत्रिका नियमित रूप से आती है लेकिन इसकी केवल एक प्रति ही आती है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें कम से कम इसकी ३ प्रतियां अवश्य भेजें ताकि एक प्रति हम एस.एच.ओ. साहब को दे दें, एक डिसप्ले में लगायें और एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रख सकें। इसका कारण यह है कि इसमें कई ऐसे लेख होते हैं जिनका हम अपने काम के दौरान उल्लेख कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह हमें सपोर्ट कर सकेगी।

उदाहरण के तौर पर पिछले दो अंकों में केरल पुलिस द्वारा सर्कुलर को प्रस्तुत किया गया था जोकि हम कहीं उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के वारंट तामील संबंधी दिशा–निर्देश को भी प्रस्तुत किया गया था।

इसके अलावा, अगर आप लोग इसके माध्यम से हमारी कार्य–अवधि को सीमित करने के बारे में कुछ कर सकें तो लाभदायक होगा।

आशा है मेरे अनुरोध पर ध्यान दिया जाएगा।

रीडर, दक्षिणी दिल्ली
(नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया गया है)
सदस्य, दिल्ली पुलिस

मनमाने ट्रांसफर का एक और हथौड़ा

पुलिस विभाग में ट्रांसफर को हमेशा ही मनमाने ढ़ंग से उपयोग किया गया है। सरकार या पुलिस महानिदेशक ऐसे किसी अनावश्यक और अचानक किए जाने वाले ट्रांसफर का कारण जो भी बतायें लेकिन पटना के लोकप्रिय एस. पी. श्री शिवदीप लिंडे को अचानक अररिया के एस.पी. के पद पर नियुक्त किए जाने पर जनता में बेहद गुस्सा और निराशा देखने को मिली।

पटना में कॉलेज विधार्थियों और खासतौर से लड़कियों में काफी रोष है। पटना महिला कॉलेज की प्रिन्सिपल ने भी निराशा जताते हुए कहा कि विधार्थी निश्चित तौर पर उनकी कमी महसूस करेंगे क्योंकि उन्होंने विधार्थियों में असमाजिक तत्वों से और छेड़खानी करने वाले लोगों से सुरक्षा की भावना पैदा की थी।

कॉलेज की दर्जनों लड़कियां ट्रांसफर की ख़बर सुनकर एस.पी. के घर पहुंच गई ताकि वे उन्हें रोक सकें। लेकिन, यह एक सरकारी आदेश था जिसका पालन उन्हें करना ही था। श्री लिंडे ने केवल ११ महीने के अपने कार्यकाल में पटना के लोगों में कानून के प्रति आदर और पुलिस की मौजूदगी को उनकी ताकत होने का आभास कराया था। जनता किसी पुलिस अफ़सर को तभी सराहती है जब वह अपने काम से उनका विश्वास जीत लें।

लेकिन, बिहार सरकार को यह बात रास नहीं आई और बेहद फिल्मी अंदाज में एक लोकप्रिय अधिकारी को पटना से उठाकर अररिया भेज दिया गया और साथ में पुलिस महानिदेशक द्वारा यह भी कहा गया कि वहां उन्हें किसी के अधीन काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि वहां उनकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाएंगी और यह उनके लिए एक तरह का प्रोमोशन है क्योंकि पटना में उन्हें एक एस.एस.पी. के अधीन काम करना होता था।

लेकिन, उन्होंने इस प्रोमोशनल ट्रांसफर का कारण 'तकनीकी आधार' बताया है जोकि अपने आप में जनता के लिए अविश्वसनीय है। उच्चतम न्यायालय द्वारा *प्रकाश सिंह के केस* में दिए गए दिशा निर्देश के बाद 11 महीने के अंदर किसी अधिकारी के ट्रांसफर के लिए ऐसे किसी 'तकनीकी आधार' की गुंजाईश नहीं है क्योंकि कम से कम दो साल तक तो अनिवार्य रूप से किसी अधिकारी को हटाने की मनाही है। बल्कि इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है।

साल तक तो अनिवार्य रूप से किसी अधिकारी को हटाने की मनाही है। बल्कि इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है।

जहां एक ओर पटना में मनमाने ढ़ंग से अच्छे अधिकारी को हटाया गया वहीं ऐसा नहीं है कि अधिकारी 'ट्रांसफर' जैसी जादुई छड़ी का उपयोग अपने हित के अनुसार नहीं करते। कई बार देखा जाता है कि पुलिसकर्मी स्वयं ही ऐसी जगह तबादला चाहते हैं जो उनके घर के नज़दीक हो या जहां काम अधिक न करना पड़े या फिर वहां 'ऊपरी आमदनी' की अधिक गुंजाईश हो। इसके लिए वे वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिश से लेकर राजनैतिक सिफ़ारिशों तक का सहारा लेते हैं। इसका एक उदाहरण तो कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री डी.वी.एस. गौड़ा जी द्वारा बैंगलौर में ६ जनवरी २०१२ को आई.पी.एस. अधिकारियों के कन्वेंशन में दिया गया, ऐसे पुलिसकर्मियों को चेतावनी देते हुआ उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में कम से कम ५०० ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी पसंद की जगह पर तबादले के लिए राजनैतिक दबाव का उपयोग करते हैं और सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सेवा में होते हुए उन्हें किसी भी जगह पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कोई अधिकारी स्वंय अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर के लिए किसी प्रकार के दबाव का उपयोग करे या फिर किसी दबाव में आकर एक अच्छे और कर्मठ अधिकारी को अनावश्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए, समस्या दोनों परिस्थितियों में है। लेकिन, इस पर कानूनी तौर पर अंकुश लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को मानना ही होगा जिसमें कम से कम दो साल तक एक स्थान पर नियुक्ति को अनिवार्य बनाने की बात कही गई है। साथ ही, प्रत्येक रूटीन ट्रांसफर आर्डर के साथ भी सरकार या विभाग के द्वारा कारण विस्तृत कारण आवश्य उल्लेखित होना चाहिए। अगर इस निर्देश को कानून बना लिया जाए तभी ट्रांसफर के इस मनमाने हथौड़े की मार से जनता और कर्मठ पुलिसकर्मी बच सकते हैं।

– ज़ीनत मलिक

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

पुलिस-मानव अधिकारों के उल्लंघन में सबसे आगे

चेन्नई के राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त होने वाले ६० प्रतिशत केसों में पुलिस द्वारा हिंसा की शिकायत की गई है। यह जानकारी आयोग की सदस्य जयंती ने मानव अधिकार दिवस पर दी। जबकि आयोग के पास किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस अवसर पर बोलते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के जज श्री डी. मुरूगेसन ने बताया कि सबसे अधिक हिरासत का आदेश तमिल नाडू ने दिया है और जो आंकड़े उन्होंने इकट्ठा किए हैं उसके अनुसार ६५ प्रतिशत मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। उनके अनुसार पुलिस को किसी व्यक्ति को पहले अपराध पर हिरासत में नहीं लेना चाहिए। हमारी पुलिस की यह धारणा है कि अगर किसी को अपराध से रोकना है तो उसे हिरासत में ले लेना चाहिए। जबकि पुलिस को इससे जितना हो सके बचना चाहिए।

राज्य के डी.जी.पी. श्री के. रामानुजम ने जयंती के दावे को नहीं नकारा बल्कि कहा कि 'यह हमारे काम का एक भाग है कि या तो हमारे पास कड़े कानून हों या कड़े पुलिस अफसर। जब भी मानव अधिकार की बात होती है तो पुलिस दुविधा में पड़ जाती है।' श्री डी. मुरूगेसन ने कहा कि 'जब संविधान की रचना की गई थी तब मानव अधिकार के बारे में नहीं सोचा गया था यह तो उसके बाद ही जोड़ा गया था।'

जबकि, संविधान में चाहे 'मानव अधिकार' शब्द को परिभाषित नहीं किया हो लेकिन सारे मानव अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में समाहित हैं (हमने ***लोक पुलिस*** के पिछले अंकों में इसी ग़लत धारणा को साफ़ करने के लिए तुलनात्मक टेबल भी प्रस्तुत किया था)।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम ११ दिसम्बर २०११)

त्रिवेणी में सबसे अधिक हत्या की घटना

अलाहाबाद में हत्या के केसों में लगातार बढ़ोतरी ने वहां की पुलिस और आम जनता की परेशानियों को बेहद बढ़ा दिया है। पिछले ११ महीनों में ६७ हत्या के केस दर्ज हो चुके हैं। इन हत्याओं के प्रमुख कारण आपसी दुश्मनी, राजनैतिक दुश्मनी, प्रेम प्रसंग, संपत्ति विवाद तथा अवैध संबंध रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस को बीट बुक में ठीक ढंग से इंद्राज करने का निर्देश दिया है। साथ ही, शहर के डी.आई.जी. श्री प्रकाश सिंह ने पुलिसकर्मियों को छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित विस्तृत नोट रजिस्टर में दर्ज करते रहने को कहा है और संबंधित उपलब्धियों पर नज़र रखने को भी कहा गया है। अगर कोई भी नियमों को तोड़ता पाया जाए तो उसे निवारक गतिविधियों के अंतर्गत बुक करने का निर्देश भी दिया गया है।

लेकिन बड़ी बात यह है कि दिशासूचकों और दिशा निर्देशों के बावजूद हत्या का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इस साल भी हत्या के मामलों में यह अपने पड़ोसी ज़िलों फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशांबी से आगे है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने गाज़ियाबाद, कानपूर और अलाहाबाद पुलिस को वास्तविक रूप से कड़े सुधारक और निवारक कदम उठाने के लिए कहा है ताकि हत्या के मामलों में कमी आए। इसके लिए ऐसे केसों का अध्ययन करने और उचित कार्यवाही करने को भी कहा है जहां हत्या की संभावना हो।

अलाहाबाद के ३६ में से २३ थानों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। डी.आई.जी. ने आपसी रंजिश के मामलों की जानकारी को 'झगड़ा रजिस्टर' में दर्ज करने को कहा है लेकिन यह सारी कोशिशें बेकार हो गई क्योंकि थाना अध्यक्ष ने कोई भी निरोधक उपाय नहीं किए। अपराध के इस ग्राफ को नीचे लाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी ने थाना प्रभारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१, १०६/११० तथा गुंडा अधिनियम की मदद लेने का सुझाव दिया।

किसी भी स्थान पर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिरोधक उपायों का पालन थाना स्तर पर ही होना चाहिए अन्यथा कोई भी योजना कारगर नहीं सिद्ध हो सकती। इसलिए, थानाअध्यक्षों पर दबाव डाल कर इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग भी करनी होगी।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १३ दिसम्बर २०११)

एस.एम.एस. द्वारा पुलिसिंग

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा एस.एम.एस. से रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए २४ घण्टे काम पर रहने वाले एक नंबर ६४५६१००१०० पर अपनी शिकायत लिखकर भेजना होता है और कुछ ही घण्टों में पुलिस अपने काम पर लग जाती है। एस.एम.एस. शिमला में स्थित कंट्रोल रूम में प्राप्त होता है जहां से पुलिसकर्मी उसे संबंधित थाने में भेज देते हैं। काम तुरंत इसलिए भी शुरु हो पाता है क्योंकि राज्य के सभी १०० थाने ऑनलाईन हैं और सभी स्टाफ के पास मोबाईल फ़ोन, लैंडलाईन और वायरलेस की सुविधा भी मौजूद है। मोबाईल फ़ोन, लैंडलाईन और वायरलेस की सुविधा भी मौजूद है। इस सेवा की मॉनीटरिंग प्रतिदिन के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों जिसकी अध्यक्षता स्वंय डी.जी.पी. के द्वारा की जाती है। यह सेवा ऑनलाईन एफ.आई.आर. दर्ज कराने और १०० नंबर की सुविधा के साथ एक अतिरिक्त सेवा है जिसका उपयोग हर वर्ग के लोगों के द्वारा किया जा रहा है।

यह सेवा आम जनता खासकर महिलाओं और बुजुर्गों में बेहद लोकप्रिय हो रही है। लोग दूर के गांवों से हर प्रकार की शिकायत इस पर करने लगे हैं– बसों में अत्यधिक भीड़, गलत ड्राईविंग, ड्राईवर द्वारा मोबाईल का उपयोग, बच्चों में ड्रग्स की आदत और यहां तक की पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार तक की शिकायत लोग एस.एम.एस. द्वारा भेजते हैं। पुलिस को हर दिन १४-२० एस.एम.एस. मिल रहे हैं और अब तक पुलिस ५६ एफ.आई.आर. दर्ज कर चुकी है। पिछले दिनों किलर से एक लड़की द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट जोकि पुलिस नहीं दर्ज कर रही थी। उस लड़की के एस.एम.एस. भेजने के बाद उसकी शिकायत दर्ज की गई। इस प्रकार की सेवा के कारण आम जनता पुलिस के गैर कानूनी कार्यों और कार्य–निष्पादन पर नज़र रख सकती है। लोग इसके द्वारा तुरंत पुलिस की करतूतों की खबर दे सकते हैं। लेकिन, दूसरे स्थानों पर इस सेवा का उपयोग करने के लिए पहले संचार के दूसरे माध्यमों को और मज़बूत करना होगा जैसे : इंटरनेट और फ़ोन।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम १ जनवरी २०१२)

कांस्टेबलों की भर्ती के नियम में बदलाव

बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस मैनुअल के उस नियम में संशोधन किया गया है जो नेगेटिव मार्किंग की बात करता था।

अब पुलिस में भर्ती होने के लिए कम से कम ३० प्रतिशत नम्बर लाने वाले को ही शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार आवश्यक पुलिसकर्मियों से चार गुना अधिक परिक्षार्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस नेगेटिव मार्किंग के तरीके को हटाने से कांस्टेबल चयन प्रक्रिया पहले से सरल हो पाएगी और अधिकाधिक संख्या में परिक्षार्थी के भाग ले सकेंगे। लेकिन, पुलिस चयन के लिए लिखित परीक्षा को आसान करने के बजाय अनावश्यक तौर पर शारीरिक जांच जैसे अत्यधिक लंबी दौड़ और लम्बाई के मापदण्डों में आदि में सुगमता प्रदान करने की आवश्यकता है।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम ४ जनवरी २०१२)

दिल्ली पुलिस मुफ़्त बस यात्रा और नहीं!

दिल्ली में पुलिसकर्मी अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में मुफ़्त यात्रा नहीं कर पाएंगे। दरअसल, ट्रांसपोर्ट विभाग ने डी.टी.सी. को पुलिसकर्मियों से चाहे वे वर्दी में हों या वर्दी में न हों, यात्रा करते समय टिकट खरीदने का निर्देश दिया हैं। बसों के सभी स्टाफ़ को इसके अनुसरण करने को कहा गया है।

आशा है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के पुलिस इस निर्देश की सूचना पुलिस विभाग को भी आधिकारिक तौर पर दे दी गई होगी ताकि पुलिसकर्मियों को बतला दिया जाए वर्ना दिल्ली की बसों में कंडक्टर से भिड़ते पुलिसकर्मी दिखाई देंगे।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम ७ जनवरी २०१२)

आतंकवाद के विरूद्ध 'रिस्पॉन्स १०'

मुंबई पुलिस 'रिस्पॉन्स १०' नाम से शहर में उभरते हुए आतंकवाद के खिलाफ़ एक शुरुआत करने जा रही है। इस 'पहल' में थाना स्तर के पुलिसकर्मियों को आतंकवादी हमले के स्थान पर ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई कमिशनर श्री अरूप पटनायक ने वार्षिक प्रेस कॉफ्रेंस में यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आतंकवादी हमले में सबसे अधिक नुकसान पहले १० मिनट में होता है और विशिष्ट बल जैसे कि एन.एस.जी. या स्पेशल टास्क फ़ोर्स को पहुंचने में समय लगता है जब तक वे आकर मोर्चा संभालें, यह आवश्यक है कि थाना और पैट्रोलिंग वाहनों को चलाने वाले लोग तब तक इस परिस्थिति को संभाल सकें।

यह 'पहल' दो महीनों के अंदर काम करने लगेगी। पुलिसकर्मियों को ए.के.–४७ चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, सभी थानों में कुछ ए.के.–४७ दिए जाएंगे और उस थाने से कुछ पुलिसकर्मियों को इसे चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस काम के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक रखे जाएंगे।

आशा है, दिल्ली और दूसरे महानगरों और आतंकवाद, माओवाद व नक्सलवाद संवेदी क्षेत्रों में भी ऐसे प्रशिक्षण और हथियारों की व्यवस्था की जाएगी।

(सौजन्य : द हिन्दू डॉट कॉम ११ जनवरी २०१२)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ६१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ६१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org